

e-Challan

Registration and Stamps department
Government of Rajasthan

GRN: 0092865819



Payment Date: 05/08/2024 14:32:59

Office Name: Sub Registrar X Registration & Stamps Jaipur
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	100.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	100.00

One Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: HEMANT CHOUDHARY	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): jaipur(000000)
Address:MURABBA NO 50 KILA NO 4 5 6 7 14 AND 15 VILL CHAK 2E CHOTI TEH GANGA NAGAR DIST GANGA NAGA	Remarks:SEARCH FEES 2023-2024 SAMEER KUMAR

Payment Details:

Bank: State Bank Of India	Challan No. - 0
Date: 05/08/2024 14:32:59	Bank CIN No: SBIN9286581905082024
	Refrence No: CK00CSZNT6

Computer generated copy on : 05/08/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

Date: - 23.07.2024

To,

**The Registrar,
RERA, 2nd and 3rd Floor, RSIC Building,
Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur.**

**Title Search Report of Murabba no. 50 Kila no. 4, 5, 6, 7, 14 and 15,
Total Kila 6 and Total area measuring 1.518 Hectare situated in Village
Chak 2E Choti, Tehsil Ganga Nagar, District Ganga Nagar, Rajasthan.**

- Jamabandi of Samvat 2072-2075 corresponding to the Calendar Year 2015-2018 reflects

Killa no. 3/2 area measuring 0.1096 Hectare
Killa no. 4 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 5 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 6 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 7 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 8/2 area measuring 0.1096 Hectare
Killa no. 13/2 area measuring 0.1096 Hectare
Killa no. 14 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 15 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 16 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 17 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 18/2 area measuring 0.1096 Hectare
Killa no. 23/2 area measuring 0.1096 Hectare
Killa no. 24/1 area measuring 0.2280 Hectare
Killa no. 24/2 area measuring 0.0250 Hectare
Killa no. 25/1 area measuring 0.2280 Hectare
Killa no. 25/2 area measuring 0.0250 Hectare

Total Killa 17 and Total area measuring 3.078 Hectare of Murabba no. 50 are recorded in name of Sameer Kumar son of Tara Chand, by caste Agarwal, Resident of 19-J Block, Sri Ganganagar, as Khatedar i.e.,

- As reflected in Jamabandi, Khatedar Sameer Kumar son of Tara Chand sold his land bearing Killa no. 3/2, 8/2, 13/2, 18/2 and 23/2 of Murabba no. 50, Vide Mutation no. 558 dated 20.09.2021, through Sale deed registered at Sub Registrar Sri Ganga Nagar.
- Jamabandi of Base Samvat 2072-2075, Jamabandi Samwat 2075 (Calendar Year 2019) reflects
- Killa no. 4 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 5 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 6 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 7 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 14 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 15 area measuring 0.2530 Hectare

Killa no. 16 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 17 area measuring 0.2530 Hectare
Killa no. 24/1 area measuring 0.2280 Hectare
Killa no. 24/2 area measuring 0.0250 Hectare
Killa no. 25/1 area measuring 0.2280 Hectare
Killa no. 25/2 area measuring 0.0250 Hectare

Total Killa 12 and Total area measuring 2.5300 Hectare of Murabba no. 50 are recorded in name of Sameer Kumar son of Tara Chand, by caste Agarwal, Resident of 19-J Block, Sri Ganganagar, as Khatedar.

- Thereafter Khatedar Sameer Kumar son of Tara Chand, applied for land conversion of Agriculture land to Non-Agricultural (For Residential Use) of land bearing Killa no. 4, 5, 6, 7, 14 and 15 of Murabba no. 50, Total Killa 6 and Total area measuring 1.518 Hectare, situated in Village Chak 2E Choti, Tehsil Ganganagar, District-Ganganagar, before Urban Development and Housing Department, Ganganagar.
- Thereafter, Urban Development and Housing Department, Ganganagar vide its conversion order bearing no. LU2012/SGN/2022-2023/100630/1112 dated 17.11.2023, converted the Agricultural land bearing Killa no. 4, 5, 6, 7, 14 and 15 of Murabba no. 50, Total Killa 6 and Total area measuring 1.518 Hectare, situated in Village Chak 2E Choti, Tehsil Ganganagar, District-Ganganagar to Non-Agricultural Land (for Residential Use).

CONCLUSION

I have examined all the above documents and aspects and come to the conclusion that Sameer Kumar son of Tara Chand, by caste Agarwal, Resident of 19-J Block, Sri Ganganagar, have a clear and marketable title over the land bearing Killa no. 4, 5, 6, 7, 14 and 15 of Murabba no. 50, Total Killa 6 and Total area measuring 1.518 Hectare, situated in Village Chak 2E Choti, Tehsil Ganganagar, District-Ganganagar. The chain of the Title of above-mentioned land, is complete and on search for the last two year the property is found free from all prior charges and encumbrances.

I certify that Sameer Kumar son of Tara Chand, by caste Agarwal, Resident of 19-J Block, Sri Ganganagar has a clear and marketable title over the land bearing Killa no. 4, 5, 6, 7, 14 and 15 of Murabba no. 50, Total Killa 6 and Total area measuring 1.518 Hectare, situated in Village Chak 2E Choti, Tehsil Ganganagar, District-Ganganagar

Regards


Hemant Choudhary
Hemant Choudhary (Advocate)
Advocate



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- 2 E छोटी
पटवार हल्का :- 2 ML
भू.अभि.नि. :- श्रीगंगानगर
तहसील :- गंगानगर
जिला :- गंगानगर

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2072 - 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 135
खाता संख्या पुराना :- 36

काश्तकार का नाम:-

1. समीरकुमार पुत्र ताराचन्द हिस्सा- पूर्ण जाति- अग्रवाल सा. 19 जे ब्लाक श्रीगंगानगर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
प.न. 0					स्वीकृत नामांतरकरण : 558 20/09/2021 बेचान	
मु.न. 50						
कि.न. 4	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
5	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
6	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
7	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
14	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
15	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
16	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
17	0.2530	नहरी	0.2530	2.55		
24/1	0.2280	नहरी	0.2280	2.30		
24/2	0.0250	खाला	0.0250			
25/1	0.2280	नहरी	0.2280	2.30		
25/2	0.0250	खाला	0.0250			
कुल किता : 12		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल नहरी 2.4800 25.00 खाला 0.0500 0.00				
कुल किता : 12		भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल नहरी 2.4800 25.00 खाला 0.0500 0.00				
कुल खसरे - 12	2.5300		2.5300	25.0000		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 18-Apr-2024





नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर
राजस्थान सरकार



क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100630/ 1112

दिनांक :- 17/11/23

विषय :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री समीर अग्रवाल पुत्र श्री तारा चन्द अग्रवाल निवासी 206 एस डी सी कोर्टयार्ड, एस के आई टी के पास, रामनगरिया जगतपुरा जयपुर।

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./ भूमि का विवरण	क्षेफलफल (हैक्टेयर)
1	चक 2 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्री समीर अग्रवाल पुत्र श्री तारा चन्द अग्रवाल	चक 2 ई छोटी मुरब्ब नं. 50 के किला नं. 04, 05, 06, 07, 14 व 15 प्रत्येक में 0.253 हैक्टे. यथाकुल 1.518 हैक्टेयर	कुल 1.518 हैक्टेयर

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा, और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकरण की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि का उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 17/11/23 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

दिनांक :- 17/11/23

क्रमांक :- LU2012/SGN/2022-23/100630/ 1112-1114

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी-

- तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदित भूमि को नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के नाम नामान्तरण/इन्तकाल 7 दिवस के अन्तर्गत दर्ज कर ऑन लाईन अपलोड कर अनुपालना सुनिश्चित करे।
- श्री समीर अग्रवाल पुत्र श्री तारा चन्द अग्रवाल निवासी 206 एस डी सी कोर्टयार्ड, एस के आई टी के पास, रामनगरिया जगतपुरा जयपुर (खातेदार)

प्राधिकृत अधिकारी

नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर